

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.6(15)नवि/3/1987 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

19 JAN 2023

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक जारी आदेश दिनांक 18.11.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश प्रदत्त किये जाते हैं कि पृथ्वीराज नगर योजना में आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक/मिश्रित 1000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के एकल पट्टे के प्रकरणों में 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 100 वर्गगज सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा जावे। यदि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा जाने वाले 10 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत भूमि की आवेदक को आवश्यकता है, तो 5 प्रतिशत भूमि की आरक्षित दर से राशि लेकर उसे एकल पट्टे में शामिल करके पट्टा दिये जाने का विकल्प दिया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय